



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252222

E-MailID - sdmnarayanpur@gmail.com

राजस्व प्रकरण क्रमांक -202501170400051/अ-62/2024-25

प्ररूप - ग

(नियम 3(2) देखिये)

अनुज्ञा

प्रति,

श्री सुकालू पिता श्री देवजी जाति गोंड
निवासी ग्राम खड़कागांव, प.ह.न. 07
तहसील व जिला नारायणपुर (छ0ग0)

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त हुआ है। तद्संबंध में राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 31.01.2025 को ज्ञापन जारी किया गया, संयुक्त निरीक्षण पश्चात उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2025 को प्राप्त हुआ, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया उक्त तथ्यों के अनुसार स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है- बीजा-04, सागौन- 04, साजा- 01 कुल 09 वृक्ष।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि भूमि खसरा क्रमांक 117/14 एवं 117/17 रकबा क्रमशः 0.450 हे., 0.260 हे कुल रकबा 0.7100 हे. भूमि पर ग्राम खड़कागांव, प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. नारायणपुर, तहसील नारायणपुर में 04, सागौन- 04, साजा- 01 कुल 09 वृक्ष स्थित हैं। जिसमें शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन-03, परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन-01, बीजा-04, साजा-01 कुल 09 वृक्ष। कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन-04 बीजा-04, साजा-01 कुल 09 वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतएव कुल 09 वृक्षों में से सागौन के कुल 04 वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।



अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नारायणपुर